सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 381/16 **निर्णय दिनांकः 18.12.2017**

राधेश्याम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी खाजुवला जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

2.अपील संख्या 382/16 **निर्णय दिनांकः**

धनश्याम पुत्र नेमीचन्द जाति ब्राहमण निवासी खाजुवला जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–09–1998

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्

2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 26–09–1998 जिसके द्वारा

–2–

अपीलांट का रकबा आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दानों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है। इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला के चक 25 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 125/8 व मुरब्बा नम्बर 125/16 के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस जारी किये अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा सबूत पेश नहीं किये अतः अपीलांट का आवांटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि अपीलांट को नोटिस द्वारा सूचित किया गया जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आराजी जैर आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ही तमाम सबूत प्रस्तुत कर दिये गये थे। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली व अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–09–1998 के विरूद्व अपील दिनांक 16–01–14 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–09–1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–01–2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश

एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

8. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 25 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 125/8 व मुरब्बा नम्बर 125/16 के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–9–1998 को अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद नोटिस वांछित सबूत पेश करने हेतु उपस्थित नहीं आया। अतः आवंटन कमेटी की राय से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–09–1998 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र, राजस्थान की वर्ष 1974 की वोटर लिस्ट, राजस्थान की वर्ष 1955 की वोटर लिस्ट, सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद नोटिस सबूत पेश नहीं किये गये। अतः आवंटन कमेटी की राय से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(3) पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा दिनांक 30–06–1995 को अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट 1958 व भूमिहीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा चुके थे। जबकि अपीलांट्स द्वारा उक्त दस्तावेज वर्ष 1995 में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके थे तो ऐसी स्थिति में वर्ष 1998 में अदालत मातहत द्वार अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया जाना कि अपीलांट द्वारा वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपने अधीन उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं आया। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा केवल अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो किसी भी सूरत में न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा चक 25 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 125/8 व मुरब्बा नम्बर 125/16 के लिए आवेदन किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—09—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर चक 25 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 125/8 व मुरब्बा नम्बर 125/16 की भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर